न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर॰ए॰एस॰)

जीसीएमएस नं. 2023/264
मुकदमा नम्बर 71/2024

दर्ज दिनांक—14.07.2023

प्रकाश पुत्र भागीरथ जाति मीणा निवासी ग्राम तोगडा कलां, तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू
—आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़
—अनावेदक

वकील आवेदक : — श्री प्रदीप कुमार झाझडिया
वकील अनावेदक :— पैरा. राज.

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश :: **निर्णय दिनांक 01.04.2024**

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम तोगडां कंला की सरहद में आराजी खसरा नं. 3 रकबा 0.33 है0, खसरा नं. 783/3 रकबा 0.26 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.59 है0 के राजस्व रिकार्ड में ओमप्रकाश पुत्र भागीरथ के स्थान पर प्रकाश पुत्र भागीरथ दर्ज किया जावे।

प्रा0 पत्र बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदक कि जारी की गई। अनावेदक तहसीलदार नवलगढ की ओर से पैरो. राज. उपस्थित हो रिपोर्ट क्रमांक भू.अ. 501 दिनांक 22/02/2024 पेश की जिसके अनुसार प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड मे ओमप्रकाश पुत्र भागीरथ के स्थान पर प्रकाश पुत्र भागीरथ दर्ज व दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है।

लिहाजा तहसीलदार नवलगढ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से इत्तिफाक रखते हुये यह न्यायालय आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र स्वीकार करता है तथा ग्राम तोगडां कंला की सरहद में आराजी खसरा नं. 3 रकबा 0.33 है0, खसरा नं. 783/3 रकबा 0.26 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.59 है0 के राजस्व रिकार्ड में ओमप्रकाश पुत्र भागीरथ के स्थान पर प्रकाश पुत्र भागीरथ दर्ज व दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। पृथक से तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 01.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिह)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला—झुझुंनू

Scanned with CamScanner